Ex.P-415

D-288

मिरर इमेज तैयार करानें का पंचनामा

थाना : ई.ओ.डब्ल्यू/ए.सी.बी.,	-	जिला रायपुर
.प. क्र. 09/2015,	-	धारा 13(2), सहपठित धारा 13(1)(डी), भ्र.नि.अधि., 109, 120 बी, 420 भा0द0वि0
पंचनामा किस बावत लिया गया	-	मिरर इमेजिंग के संबंध में।
नाम गवाहान, जिनके समक्ष वाईस सैम्पल लिया गया	-	1. श्री एम.के.राजपूत पिता स्व. सियाराम सिंह, उम्र 52 वर्ष, ओम आटो कार्नर के पीछे, जी.ई.रोड, पदुम नगर भिलाई-3, जिला दुर्ग, हाल पद व्याख्याता शास. उ.मा.विद्यालय, जंजगीरी, जिला दुर्ग, मो0 न0 98271-18921 2. श्री रामनारायण राम पिता स्व. श्रीराम, उम्र 54 वर्ष, 10-बी, एच.एस.सी.एल. कॉलोनी, रूआबांधा, भिलाई, पिन.नं. 490006, हाल पद व्याख्याता शास. उ.मा.विद्यालय, कुम्हारी जिला दुर्ग, मो0 न0 94241-06385
नाम अधिकारी जिसके समक्ष पंचनामा तैयार किया गया	-	संजय देवस्थल, निरीक्षक, विवेचनाधिकारी ई0ओ0डब्ल्यू0 रायपुर।
पंचनामा प्रारंभ करनें का दिनांक,समय स्थान	-	18.03.2015 के 13.00 बजे से ई0ओ0डब्ल्यू0 कार्यालय रायपुर।

विवरण

आज दिनांक को उपर उल्लेखित गवाहान को निर्देशित स्थान पर तलब किया गया, जो उपस्थित आए। गवाहान को यह बताया गया कि उपरोक्त प्रकरण में इंटरसेप्टेड रिलेवेन्ट ट्रांसक्रिशन 16 जी0बी0 पेन ड्राईव एवं इंटरसेप्टेड हार्डकॉपी की प्रति सी0एम0सी0 (सेन्ट्रल मॉनिटरींग सेन्टर) पुलिस मुख्यालय रायपुर से लिफाफे मे सीलबंद प्राप्त हुई है। पेन ड्राईव में वाईस कॉल इंटरसेशन है जिसकी विवेचना हेतु दिन प्रति दिन आवश्यकता होनें से प्रति दिन गवाहों को तलब कर सील खोलना एवं बंद करना होगा। विवेचना के लिए उक्त पेन ड्राईव की मिरर इमेजिंग कराये जानें पर उक्त मिरर इमेज़ वाली पेनड्राईव से गवाहों के कथन एवं उनके वाईस सेम्पल लिये जा सकते है तथा जो पेन ड्राईव सी0एम0सी0 से प्राप्त हुई उसे मिरर इमेज कराने के पश्चात पुनः सील बंद कर दिया जायेगा तथा पृथक्क से परीक्षण हेतु भेजा जायेगा। सील बंद लिफाफे को गवाहो के समक्ष खोला गया जिसके लिफाफे के उपर लिखा है कि इसमें 16 जी0बी0 की पेन ड्राईव तथा उक्त पेन ड्राईव मे वाईस कॉल इंटरशेप्सन की ट्रांस्क्रीप्ट की हार्ड कॉपी तथा धारा 65 बी0 साक्ष्य अधिनियम के तहत सर्टिफिकेट होना लिखा है। लिफाफा खोलनें पर उक्त वर्णित सभी चीजें पाई गई। उक्त 16 जी0बी0 के पेन ड्राईव को गवाह रामनारायण राम के शर्ट के पॉकेट मे रखवाकर यह बताया गया कि हमें साईबर सेल सिविल लाईन्स रायपुर चलकर इस पेन ड्राईव की मिरर इमेज तैयार करानी है, तो साईबर सेल ऑफिस पहुंचनें तक उक्त पेन ड्राईव को सुरक्षित अपनें पास रखियें तथा साईबर सेल मे मांगनें पर प्रस्तुत करें। इसके पश्चात शासकीय वाहन से साईबर सेल प्रभारी सिविल लाईन्स रायपुर के नाम पर पत्र तैयार कर साथ लेकर साईबर सेल कार्यालय सिविल लाईन्स रायपुर पहुंचे। साईबर सेल पहुंचकर साक्षी रामनारायण राम द्वारा साईबर सेल प्रभारी के मांगनें पर अपने पॉकेट से पेन ड्राईव निकाल कर साईबर सेल प्रभारी को दिया। साईबर सेल प्रभारी द्वारा उक्त पेन ड्राईव का मिरर इमेज तैयार किया जाकर प्रदान किया गया। मूल पेन ड्राईव्ह को साक्षी श्री रामनारायण राम को सुरक्षार्थ दिया गया तथा विवेचना के लिए मिरर ईमेज को विवेचक के पास रखा गया। पेन ड्राईव को लेकर साक्षियों सहित ई0ओ0डब्ल्यु0 कार्यालय वापस आये। मूल पेन ड्राईव को ई.ओ.डब्ल्यू कार्यालय में साक्षियों के समक्ष सीलबंद किया गया। मूल पेन ड्राईव्ह को पृथक से परीक्षण हेतु भेजा जाता है। मिरर इमेज पेन ड्राईव को दिन प्रति दिन की विवेचना के उपयोग मे लाने के लिए रखा गया। इस प्रकार मिरर इमेज तैयार करनें की कार्यवाही का पंचनामा ई0ओ0डब्ल्यु0 कार्यालय रायपुर मे दिनांक 18.03.2015 के 17.30 बजे समाप्त किया गया।

हस्ताक्षर गवाहान	हस्ताक्षर साईबर सेल प्रभारी	हस्ताक्षर पुलिस अधिकारी
01 (हस्ताक्षर) 18/3/15	(हस्ताक्षर) 18/03/15	(हस्ताक्षर) 18/03/15
02 (हस्ताक्षर) 18.03.15		